स्वत्व वाद संख्या 132 / 2019
दिनांक 21.12.2023
सीआईएस 132 / 2019

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 21.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 18.06.2022 को आदेश 22 नियम 4 तथा व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी सं0 02 प्रभु यादव की मृत्यु दिनांक 10.09.2020 को हो गयी । यह कि उनका नाम कलमजद कर उनके वारिसों 2क सुशीला देवी पति स्व0 प्रभु यादव, 2ख मंटु यादव 2ग जवाहिर यादव, 2घ लखन यादव तीनों पिता स्व0 प्रभु यादव 2ङ0 संगीता देवी पिता स्व0 प्रभु यादव का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा किया जाए। मामले में चूंकि आवेदन विलंब से दिया गया है और जानबूझकर यह विलंब कारित नहीं किया गया है। अतः मामले में परिसीमा विधि की धारा 5 का लाभ देते हुए विलंब को माफ करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी के द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया इसलिए प्रतिवादी को प्रतिउत्तर से वंचित कर दिया गया।

उपस्थित पक्षकार को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 4 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी सं0 02 प्रभु यादव की मृत्यु दिनांक 10.09.2020 को हो गयी । यह कि उनका नाम कलमजद कर उनके वारिसों 2क सुशीला देवी पति स्व0 प्रभु यादव, 2ख मंटु यादव 2ग जवाहिर यादव, 2घ लखन यादव तीनों पिता स्व0 प्रभु यादव 2ङ0 संगीता देवी पिता स्व0 प्रभु यादव का नाम दर्ज करना आवश्यक है। अतः प्रतिवादी सं0 02 प्रभु यादव की मृत्यु दिनांक 10.09.2020 को हो गयी । यह कि उनका नाम कलमजद कर उनके वारिसों 2क सुशीला देवी पति स्व0 प्रभु यादव, 2ख मंटु यादव 2ग जवाहिर यादव, 2घ लखन यादव तीनों पिता स्व0 प्रभु यादव 2ङ0 संगीता देवी पिता स्व0 प्रभु यादव का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है। मामले में चूंकि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है परन्तु बहुत विलंब से दिया गया है अतः दो हजार रुपये खर्च जो अरेराज न्यायालय में जमा किया जाएगा । न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है वादी को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम तिथि तक मरम्मती संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण करें और एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।